

दिनांक- 30.06.2016 के 4:30 बजे अपराह्न में मं० सोहैल, भा०प्र०से०

जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, मधेपुरा की अध्यक्षता में जिला अनुकम्पा समिति की बैठक में लिये गये निर्णय की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- उपस्थिति पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम जिलाधिकारी -सह-अध्यक्ष जिला अनुकम्पा समिति, मधेपुरा द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। जिला स्थापना उप समाहर्ता, मधेपुरा द्वारा विभागीय निदेश(सामान्य प्रशासन विभाग) पढ़कर सुनाया गया। जिला अनुकम्पा समिति के विचारार्थ विन्यासित विवरणी के अनुरूप प्राप्त आवेदन पत्रों/ अभिलेखों को उपस्थित किया गया :-

01. समाहरणालय संवर्ग :- 03
02. पुलिस अधीक्षक कार्यालय, मधेपुरा :- 01
03. सिविल सर्जन कार्यालय, मधेपुरा :- 02
04. जिला प्रोग्राम कार्यालय, मधेपुरा :- 01
05. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना कार्यालय,मधेपुरा :- 02
06. ग्रामीण कार्य विभाग,कार्य प्रमंडल, मधेपुरा :- 03
07. जिला कृषि पदाधिकारी, कार्यालय,मधेपुरा :- 01

क्र०	आवेदक का नाम	पिता/माता/पति का नाम/ पदनाम/कार्यालय का नाम एवं पता	दिनांक-30.06.2016 को जिला अनुकम्पा समिति द्वारा लिया गया निर्णय
1	2	3	4
1	श्री रवि रंजन	रख० राज किशोर सिंह, भूतपूर्व लिपिक, समाहरणालय, मधेपुरा।	दिनांक-11.01.2016 को आयोजित अनुकम्पा समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में आवेदक को इन्टरमीडिएट का मूल प्रमाण पत्र सम्पादन करने का निदेश दिया गया था। आवेदन द्वारा वांछित कालजात सम्पादन किया गया। विचारोपरान्त जिला अनुकम्पा समिति द्वारा सर्वसम्मति से आवेदक को समूह 'ग'(द्वितीय वर्ग) में नियुक्ति हेतु नियोक्ता को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया।
2.	श्री कुमार अजय	रख० नवल किशोर साह, भूतपूर्व लिपिक-सह-टंकक, बाल विकास परिशोजना कार्यालय, कुमारखण्ड।	दिनांक-11.01.2016 को आयोजित अनुकम्पा समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में आवेदक को मध्यमा एवं इन्टरमीडिएट का मूल प्रमाण पत्र सम्पादन करने का निदेश दिया गया था। आवेदन द्वारा वांछित कालजात सम्पादन किया गया। विचारोपरान्त जिला अनुकम्पा समिति द्वारा सर्वसम्मति से आवेदक को समूह 'घ'(चतुर्थ वर्ग) में नियुक्ति हेतु नियोक्ता को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया।
3.	श्री राजकुमार	रख० हरेराम सिंह, भूतपूर्व प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, कुमारखण्ड।	दिनांक-11.01.2016 को आयोजित अनुकम्पा समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में आवेदक को इन्टरमीडिएट का मूल प्रमाण पत्र एवं आचरण प्रमाण पत्र सम्पादन करने का निदेश दिया गया था। आवेदक द्वारा वांछित कालजात सम्पादन किया गया।

			विचारोपरान्त जिला अनुकम्पा समिति द्वारा सर्वसम्मति से आवेदक को समूह 'ग'(तृतीय वर्ग) में नियुक्ति हेतु नियोक्ता को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया।
4.	सुश्री बुलबुल कुमारी	स्व० कृष्ण कान्त यादव, भूतपूर्व सिपाही, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, मधेपुरा।	इस मामले को जिला अनुकम्पा समिति में प्रथम बार विचारार्थ रखा गया। जिला अनुकम्पा समिति द्वारा विचारोपरान्त पाया गया कि आवेदिका अनुकम्पा पर नियुक्ति हेतु सभी अर्हता पूरी करते हैं। फलतः जिला अनुकम्पा समिति द्वारा सर्वसम्मति से आवेदक को समूह 'ग'(तृतीय वर्ग) में नियुक्ति हेतु संबंधित नियोक्ता को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया।
5.	मो० रहमत आलम	स्व० मो० हसेबुन, अनुसेवक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधेपुरा	इस मामले को जिला अनुकम्पा समिति में प्रथम बार विचारार्थ रखा गया। जिला अनुकम्पा समिति द्वारा विचारोपरान्त पाया गया कि आवेदक अनुकम्पा पर नियुक्ति हेतु सभी अर्हता पूरी करते हैं। फलतः जिला अनुकम्पा समिति द्वारा सर्वसम्मति से आवेदक को समूह 'ग'(तृतीय वर्ग) में नियुक्ति हेतु संबंधित नियोक्ता को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया।
6.	श्री राहुल कुमार सिंह	स्व० विनय कुमार सिंह, भूतपूर्व गोदाम चौकीदार, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधेपुरा।	इस मामले को जिला अनुकम्पा समिति में प्रथम बार विचारार्थ रखा गया। जिला अनुकम्पा समिति द्वारा विचारोपरान्त पाया गया कि आवेदक अनुकम्पा पर नियुक्ति हेतु सभी अर्हता पूरी करते हैं। फलतः जिला अनुकम्पा समिति द्वारा सर्वसम्मति से आवेदक को समूह 'ग'(तृतीय वर्ग) में नियुक्ति हेतु संबंधित नियोक्ता को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया।
7.	श्रीमती रेखा देवी	स्व० रामनारायण पौदार, भूतपूर्व दफ्तरी, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधेपुरा।	इस मामले को जिला अनुकम्पा समिति में प्रथम बार विचारार्थ रखा गया। जिला अनुकम्पा समिति द्वारा विचारोपरान्त पाया गया कि आवेदिका का आवेदन कालबाधित प्रतीत होता है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित कार्यालय प्रधान से साक्ष्य के साथ प्रतिवेदन की माँग करें कि आवेदिका का आवेदन कब प्राप्त हुआ है।
8.	उषा रानी ठाकुर	स्व० आमोद रंजन, जनसेवक, प्रखण्ड कार्यालय, पुरैनी।	दिनांक-11.01.2016 को आयोजित जिला अनुकम्पा समिति की बैठक में निर्णय लिया गया था कि सर्वप्रथम सक्षम प्राधिकार से उम्र क्षान्त करने की कार्रवाई की जाय। जिसके अनुपालन में स्थापना शाखा के पत्रांक-177-2, दिनांक-05.03.2016 द्वारा उम्र क्षान्त हेतु पत्र आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा को भेजा गया। आयुक्त के सचिव, कोशी प्रमंडल, सहरसा ने पत्रांक-1266, दिनांक-27.05.2016 से मृत्यु प्रमाण पत्र एवं आवेदिका का अनुकम्पा संबंधी आवेदन की अभिप्रमाणित प्रति की माँग की गयी। वांछित कागजात स्थापना शाखा के पत्रांक-479-2, दिनांक-15.06.2016 द्वारा भेज दिया गया है। उम्र क्षान्त करने संबंधी प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण जिला अनुकम्पा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वांछित प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अगली अनुकम्पा समिति की बैठक में रखा जाय।

9.	श्री प्रसून कुमार	स्व० जगन्नाथ सिंह, भूतपूर्व आशुलिपिक, जिला कृषि कार्यालय, मधेपुरा	इस मामले को जिला अनुकम्पा समिति में प्रथम बार विचारार्थ रखा गया। जिला अनुकम्पा समिति द्वारा विचारोपरान्त पाया गया कि आवेदक अनुकम्पा पर नियुक्ति हेतु सभी अर्हता पूरी करते हैं। फलतः जिला अनुकम्पा समिति द्वारा सर्वसम्मति से आवेदक को समूह 'ग' (तृतीय वर्ग) में नियुक्ति हेतु संबंधित नियोक्ता को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया।
10.	श्री पंकज कुमार	स्व० अशोक कुमार सिन्हा, भूतपूर्व लैब तकनीशियन फाईलेरिया नियंत्रण इकाई, मधेपुरा।	इस मामले को जिला अनुकम्पा समिति में प्रथम बार विचारार्थ रखा गया। जिला अनुकम्पा समिति द्वारा विचारोपरान्त पाया गया कि आवेदक का आवेदन अधूरा भरा हुआ है तथा उसमें न तो आवेदक का और न ही आश्रितों का ही शपथ पत्र संलग्न है। स्थापना कार्यालय के पत्रांक-476,-2, दिनांक-14.06.16 से वांछित कागजातों की माँग की गयी है। सर्वसम्मति से वांछित कागजातों की माँग करने हेतु स्मारित करने का निर्णय लिया गया।
11	श्री रवि कुमार विश्वास	स्व० समोली देवी भूतपूर्व ए०एन०एम०, प्रा० स्वा० केन्द्र, बिहारीगंज	इस मामले को जिला अनुकम्पा समिति में प्रथम बार विचारार्थ रखा गया। जिला अनुकम्पा समिति द्वारा विचारोपरान्त पाया गया कि आवेदक के आवेदन में मृत्यु प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं मैट्रिक एवं इंटर का मूल प्रमाण पत्र तथा पारिवारिक सूची मूल में संलग्न नहीं है। स्थापना कार्यालय के पत्रांक-483-2 दिनांक-16.06.2016 द्वारा वांछित कागजात की माँग की गयी है। सर्वसम्मति से वांछित कागजातों की माँग करने हेतु स्मारित करने का निर्णय लिया गया।
12	श्री प्रमोद कुमार राम	स्व० जगदीश राम, चालक, समाहरणालय, मधेपुरा।	इस मामले को जिला अनुकम्पा समिति में प्रथम बार विचारार्थ रखा गया। जिला अनुकम्पा समिति द्वारा विचारोपरान्त पाया गया कि आवेदक अनुकम्पा पर नियुक्ति हेतु सभी अर्हता पूरी करते हैं। फलतः जिला अनुकम्पा समिति द्वारा सर्वसम्मति से आवेदक को समूह 'ग' (तृतीय वर्ग) में नियुक्ति हेतु संबंधित नियोक्ता को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया।
13	श्री अखिलेश कुमार	स्व० शिवन मंडल, भूतपूर्व अनुसेवक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, कार्यालय, मधेपुरा	इस मामले को जिला अनुकम्पा समिति में प्रथम बार विचारार्थ रखा गया। जिला अनुकम्पा समिति द्वारा विचारोपरान्त पाया गया कि आवेदन में मूल सेवा पुस्त संलग्न नहीं है। सर्वसम्मति से मूल सेवापुस्त की माँग जिला कार्यकम पदाधिकारी, स्थापना, मधेपुरा से प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

शर्तें :- सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से जिला अनुकम्पा समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त अनुशंसित आवेदक/ आवेदिका को नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व नियुक्ति प्राधिकार निम्नांकित तथ्यों पर अवश्य संतुष्ट हो लेंगे :-

01. आवेदक / आवेदिका द्वारा समर्पित कागजातों / प्रमाण पत्रों इत्यादि का सत्यापन कराने के उपरान्त ही नियुक्ति पत्र निर्गत करेंगे।
02. आवेदक / आवेदिका से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लेंगे कि किसी संगीन अपराध के आरोप में उन्हें कारवास का दंड नहीं दिया गया है तथा अपराधिक मामला उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं

